

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :- 121/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/199

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.कानाराम पुत्र उकाराम	1.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार	
2.भैराराम पुत्र अमराराम	पचपदरा	
3.रमेशकुमार पुत्र जैसाराम	2.मिश्रीमल पुत्र मीटालाल जाति कुम्हार	
जाति भील निवासी मूंगड़ा	निवासी श्री मदन प्रजापत पूर्व एम.एल.ए. के	
तहसील पचपदरा	घर के पास बालोतरा	

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-

1. श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री करणसिंह सोलंकी विप्रार्थी संख्या 02 अधिवक्ता
3. विप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित

आदेश

दिनांक 10.03.2025

1.संक्षिप्त में आवेदन-पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम मूंगड़ा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1549/771 रकबा 10.01 बीघा भूमि अवस्थित है। प्रार्थीगण का अपनी खातेदारी भूमि पर शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,लेकिन लटढा नक्शा में मौका स्थिति के तरमीम करीब 8 बीघा कर रखी है। जबकि विप्रार्थी संख्या 02 के खाते में अधिक तरमीम कर दी गई है। इस प्रकार प्रार्थीगण के हितो के साथ कुठराघात किया गया है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि की विदयमान तरमीम को निरस्त किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड एवं मौका स्थिति अनुसार लटढा नक्शा ट्रेस में तरमीम दुरुस्ती करवाने हेतु आवेदन-पत्र पेश किया गया।

2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्री नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री करणसिंह सोलंकी द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 की ओर से वकालतनामा पेश किया। जवाब पेश नहीं किए जाने पर जवाब बन्द



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

किया गया। विप्रार्थी संख्या 02 की ओर से मौका रिपोर्ट पेश की गई तथा वक्त बहस विप्रार्थी संख्या 02 अनुपस्थित रहे।

3. हमने उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम मूंगड़ा तहसील पंचपदरा की खसरा संख्या 1549/771 रकबा 10.01 बीघा भूमि अवस्थित है। प्रार्थीगण का अपनी खातेदारी भूमि पर हक हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा काशत चला आ रहा है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की लगत विप्रार्थी संख्या 02 का खसरा अवस्थित है। तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीगण को सूचित किए बिना विवादित आराजी की तरमीम करते हुए प्रार्थीगण की रकबा भूमि 10.01 बीघा के स्थान पर 8 बीघा भूमि की लटढा नक्शा में कम तरमीम करते हुए विप्रार्थी संख्या 02 के खाते में अधिक रकबा तरमीम कर दी गई। जबकि प्रार्थीगण का रेकॉर्ड जमाबंदी रकबा मुताबिक तरमीम की जानी चाहिए थी, जो कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट हो चुका है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि मौका स्थिति व कब्जा काशत मुताबिक तरमीम दुरुस्ती की जाती है, तो प्रार्थीगण को आपति नहीं है।

4. विप्रार्थी संख्या 02 अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण की ओर से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि के संबंध में तरमीम दुरुस्ती किए जाने का आवेदन पेश किया गया है। मौका कब्जा काशत अनुसार तरमीम दुरुस्ती की जावे, तो आपति नहीं है।

5. हमने उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकॉर्ड व दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया ग्राम मूंगड़ा तहसील पंचपदरा की खसरा संख्या 1549/771 क्षेत्रफल 1.6268 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में अवस्थित है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी के लगत खसरा संख्या 1540/771 क्षेत्रफल 3.8040 हैक्टर भूमि विप्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी में अवस्थित है, जो कि विवादित आराजी की जमाबंदी अवलोकन से स्पष्ट है। यह तो स्पष्ट है कि विवादित आराजी की तरमीम मौका स्थिति के विपरीत हो रखी है, जो कि मौका फर्द दिनांक 30.12.2024 व संलग्न नक्शा परिशिष्ट अ अवलोकन से साबित होता है। चूंकि उभयपक्ष अधिवक्ता मौका कब्जा काशत स्थिति अनुसार तरमीम दुरुस्ती करवाने पर सहमत है। ऐसी सूरत में उभयपक्ष अधिवक्तों की सहमति के आधार पर प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार करते हुए तरमीम दुरुस्ती किए जाने हेतु प्रकरण तहसीलदार पंचपदरा को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस कारण विद्यमान तरमीम को यथावत रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है तथा हस्तगत प्रकरण को तहसीलदार पंचपदरा को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6. उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है, कि प्रार्थीगण विवादित भूमि की तरमीम दुरुस्ती करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।




उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा


—आदेश—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम-मूंगड़ा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1549/771 व 1540/771 की विद्यमान तरमीम निरस्त की जाती है तथा तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है कि विवादित आराजी की मौका स्थिति को मध्यनजर रखते हुए नये सिरे से तरमीम किए जाने के आदेश विधिनुसार पारित करें।




(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 10.03.2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
10/03/2025